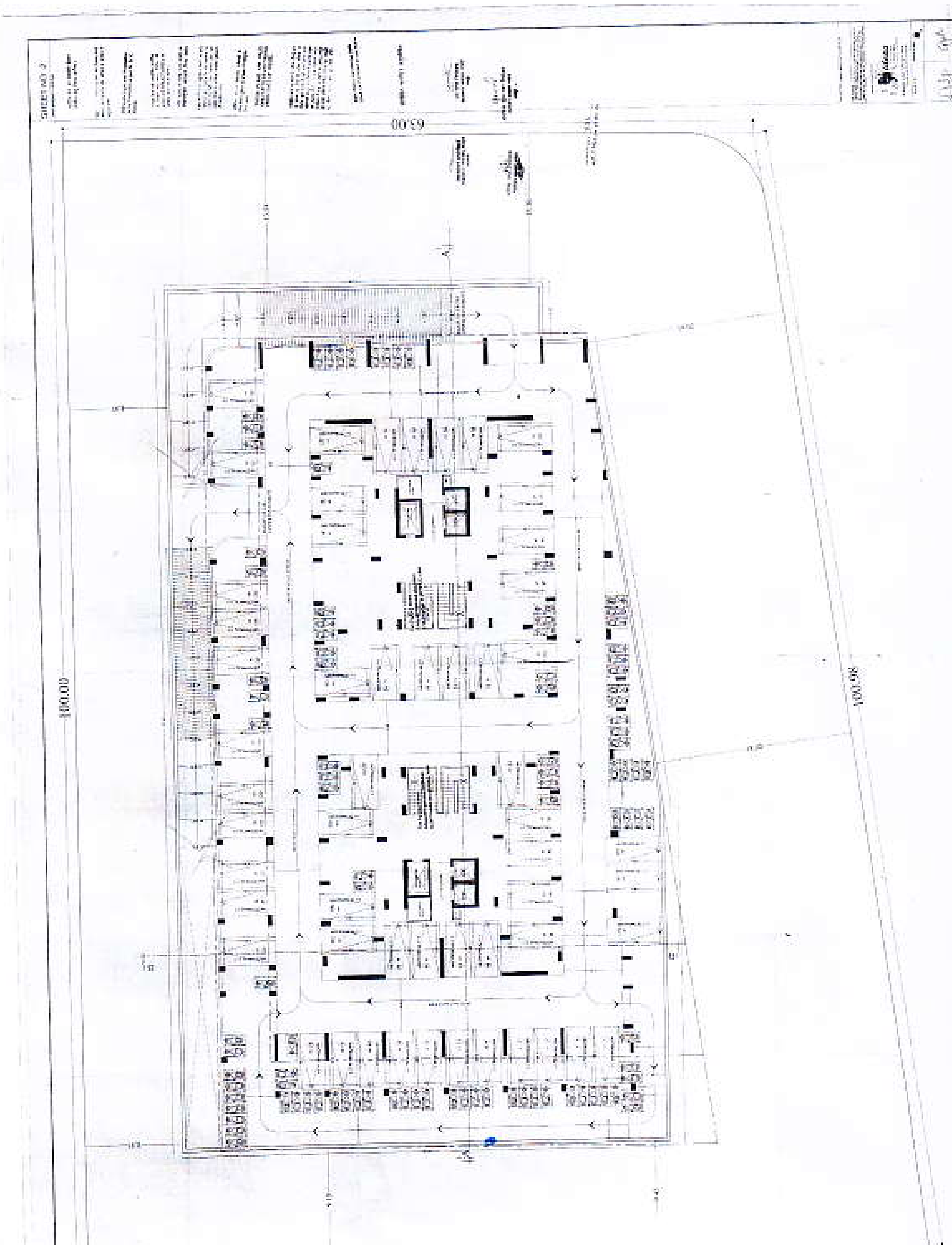
63.00
100.00
100.98

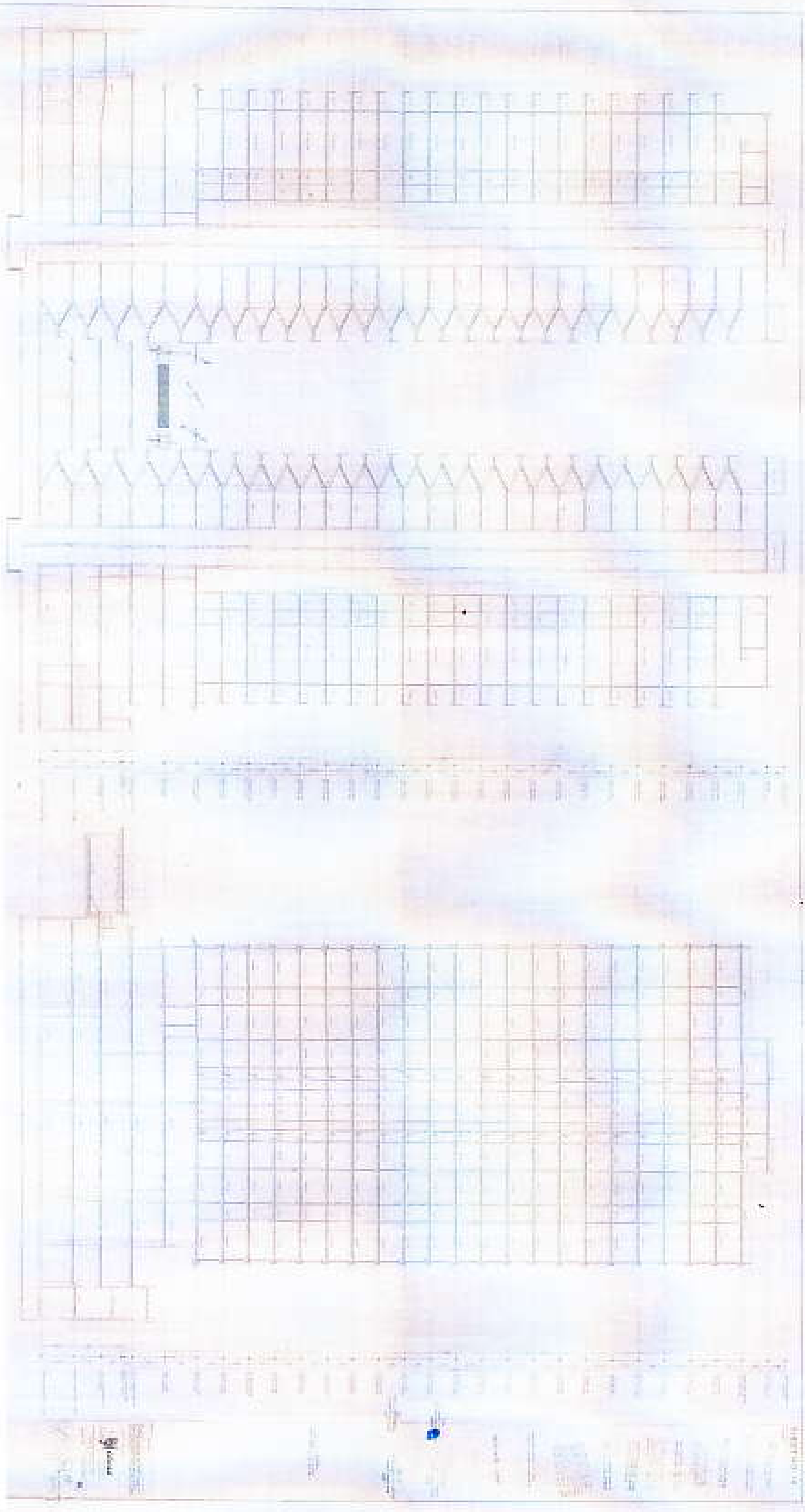

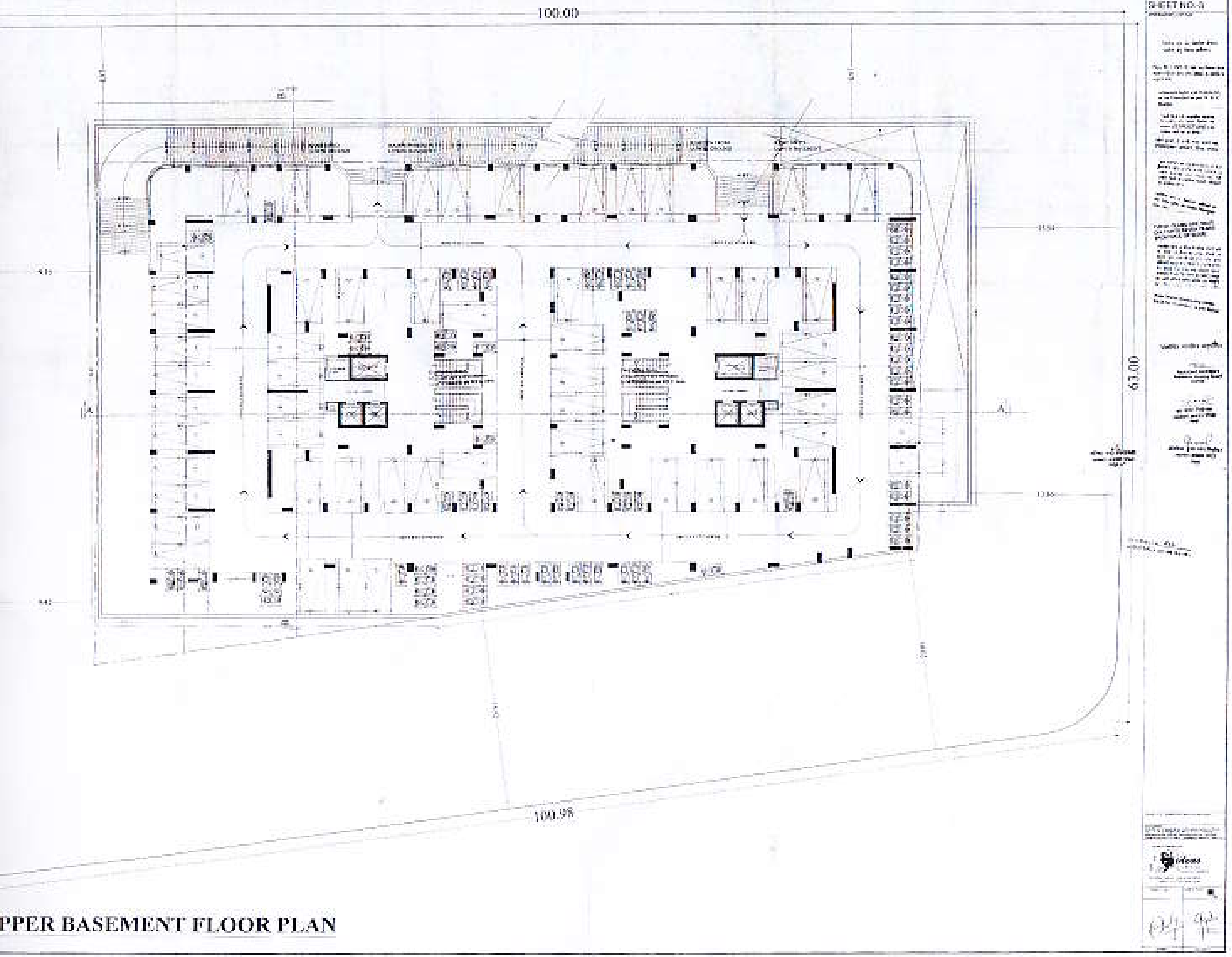


PPER BASEMENT FLOOR PLAN

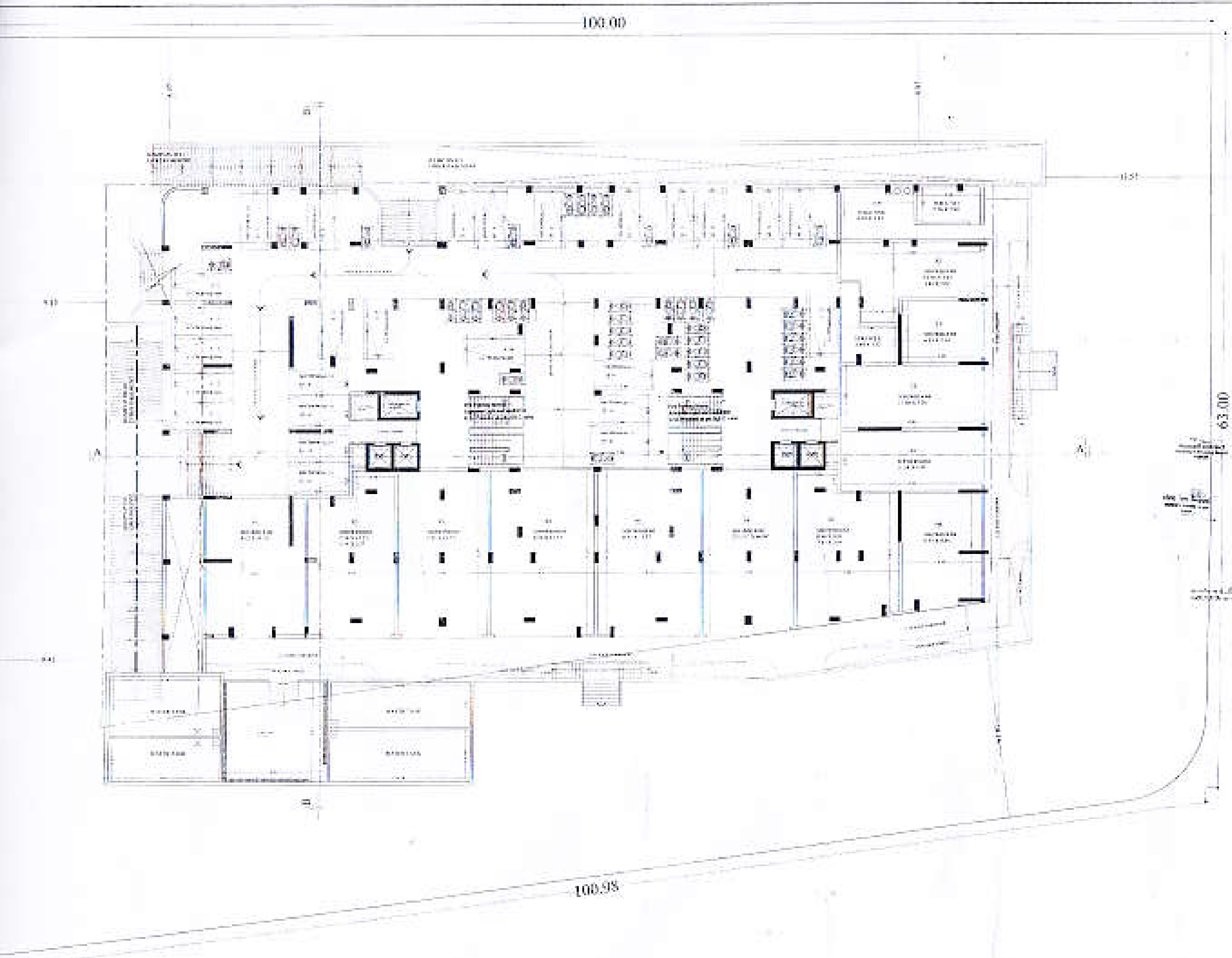


OWER GROUND FLOOR PLAN

SHEET NO.4

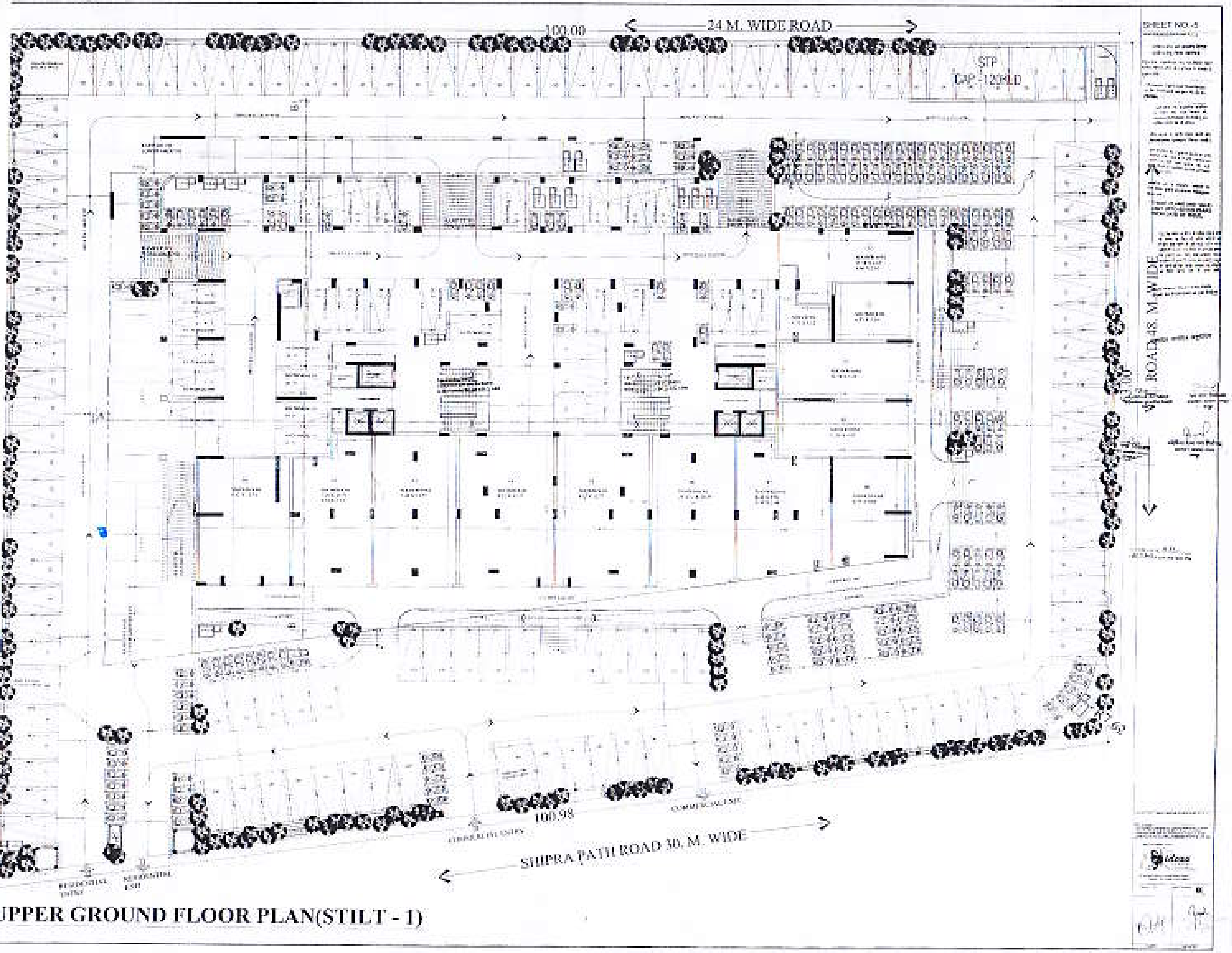

UPPER GROUND FLOOR PLAN(STILT - 1)

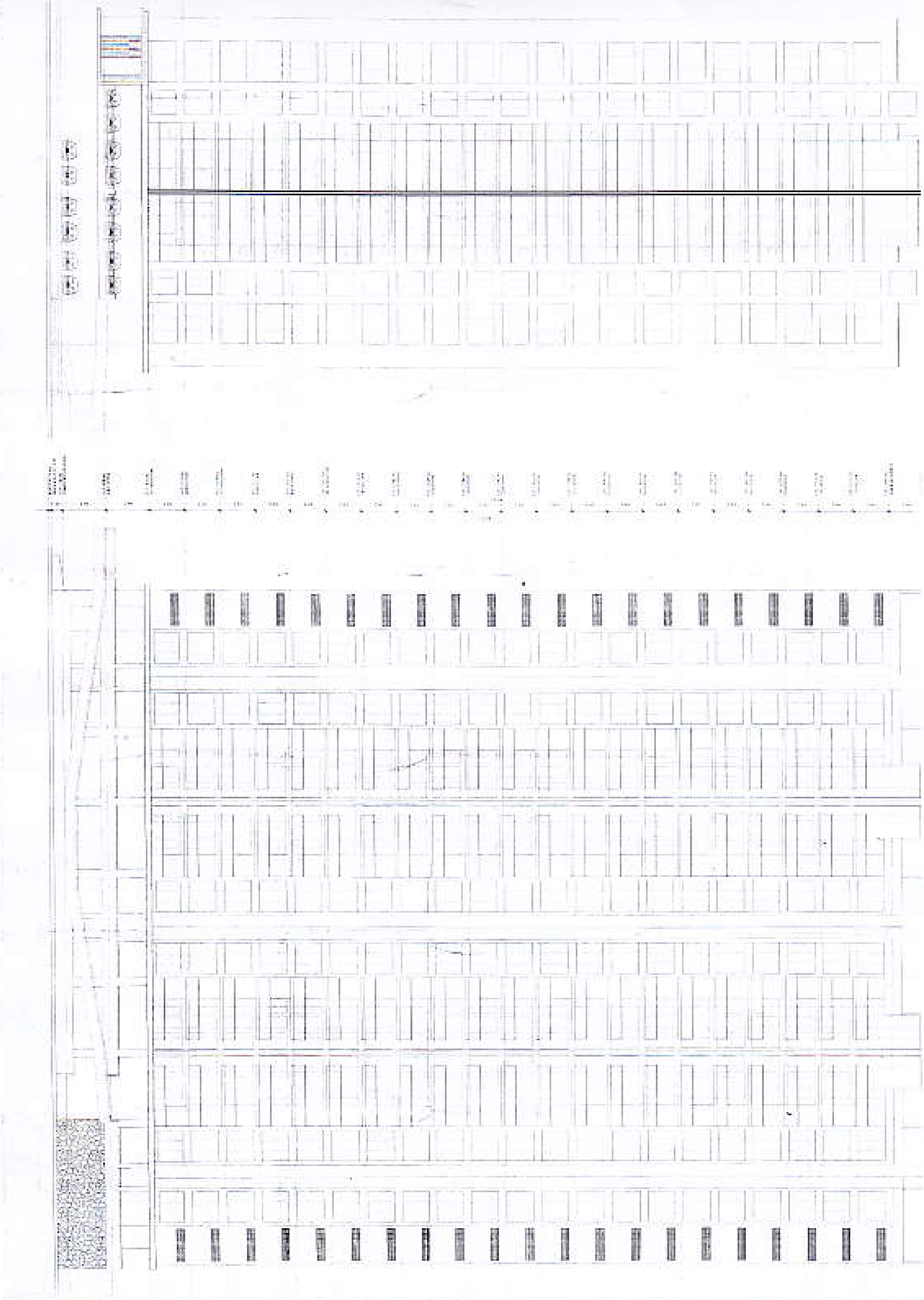

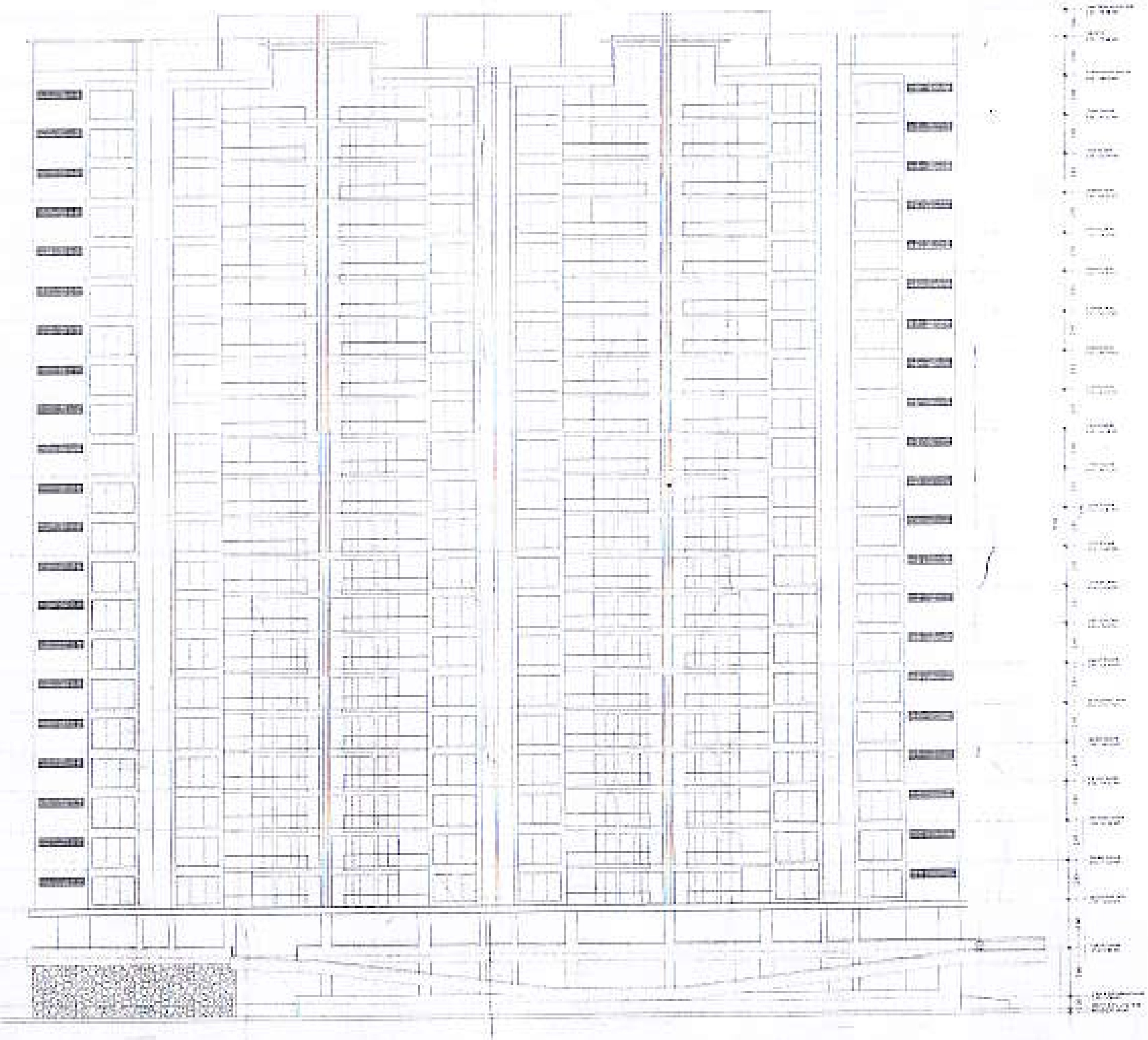

RIGHT ELEVATION

REAR SIDE ELEVATION

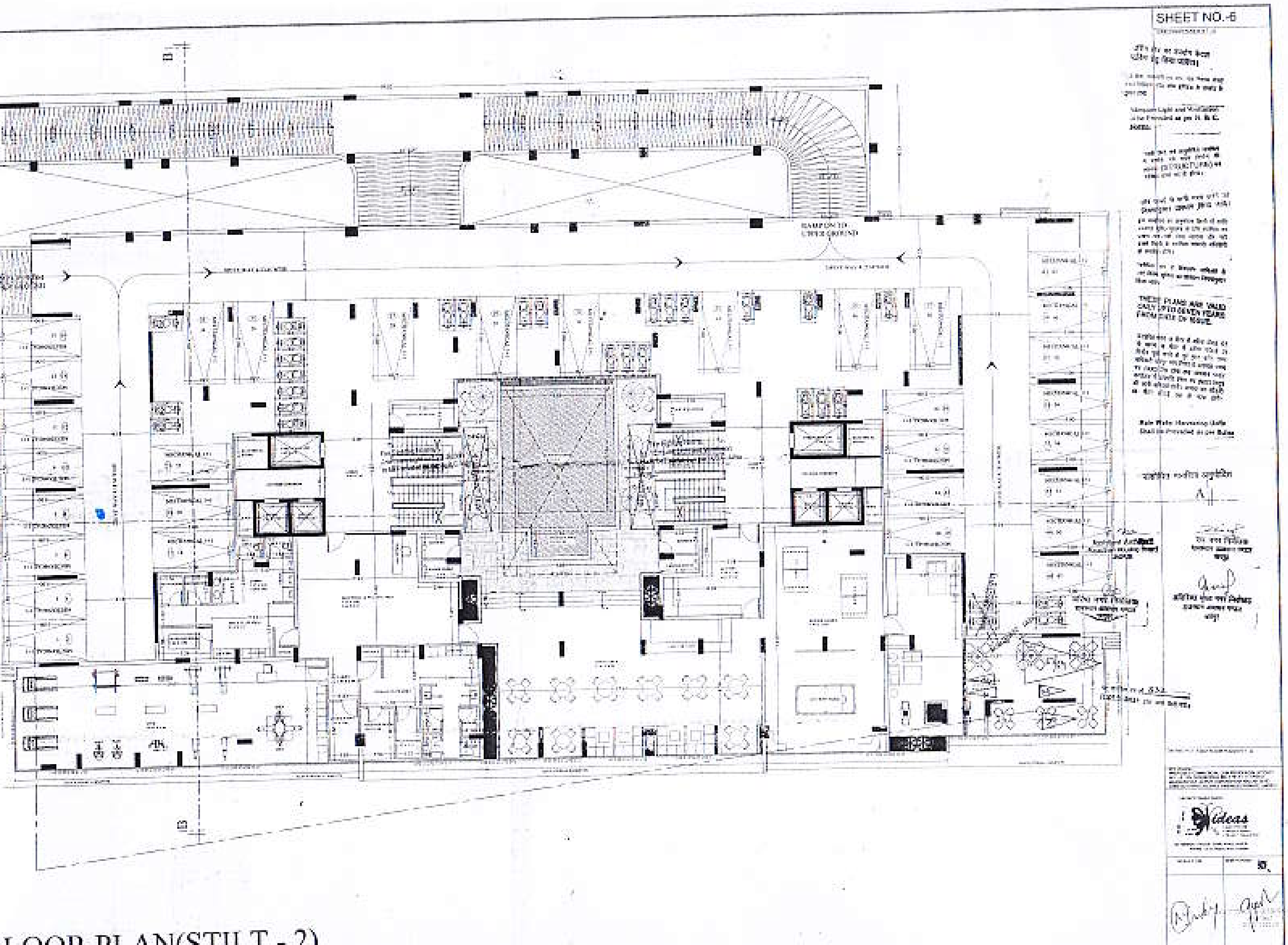


LOOR PLAN(STILT - 2)

SHEET NO.-7

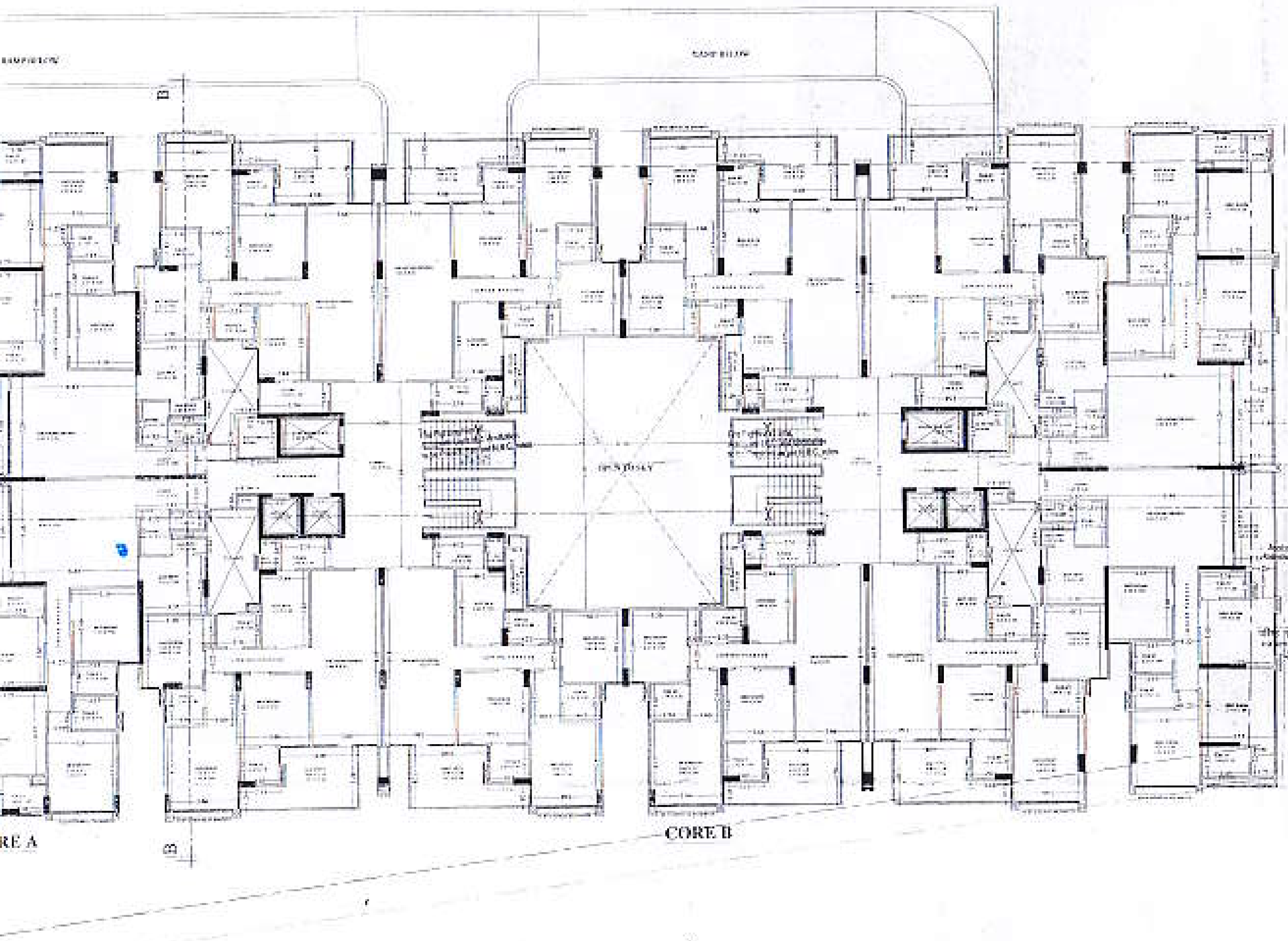


THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Bye Laws

FLOOR PLAN

SHEET NO.-8

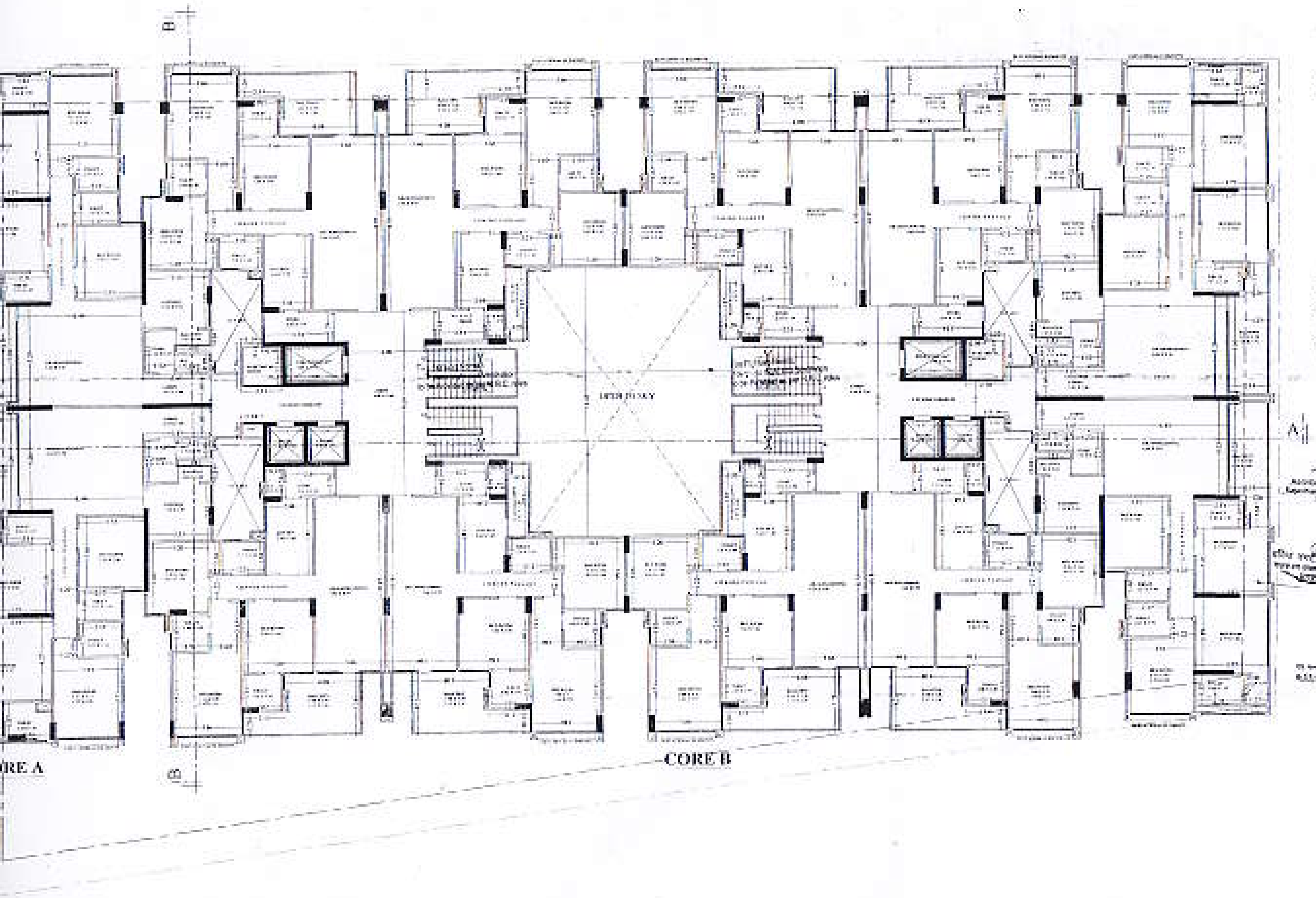


FLOOR PLAN(Third TO 21st Floor)

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

SHEET NO.-9

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

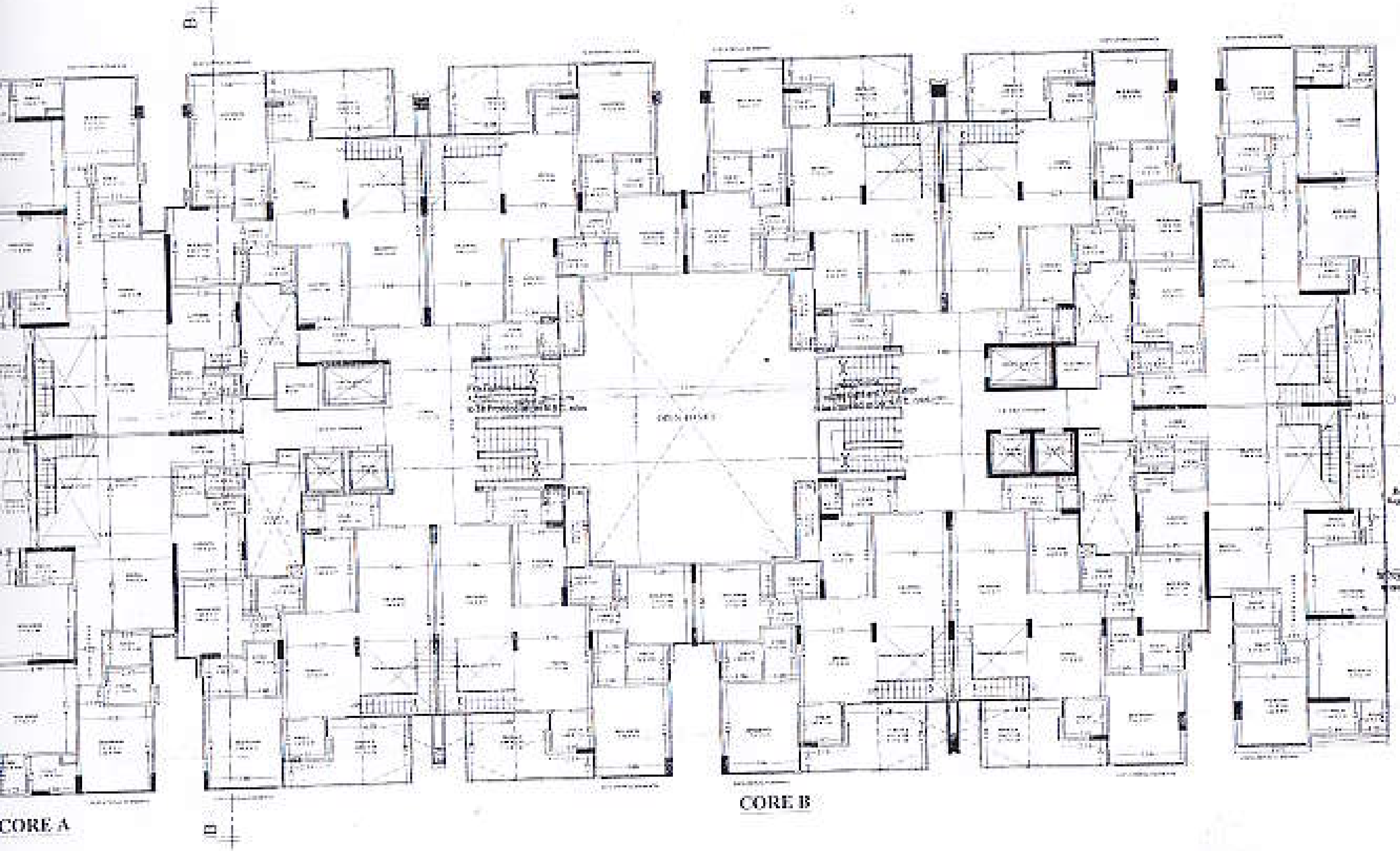


# OOR PLAN

HOUSE )

SHEET NO.-10

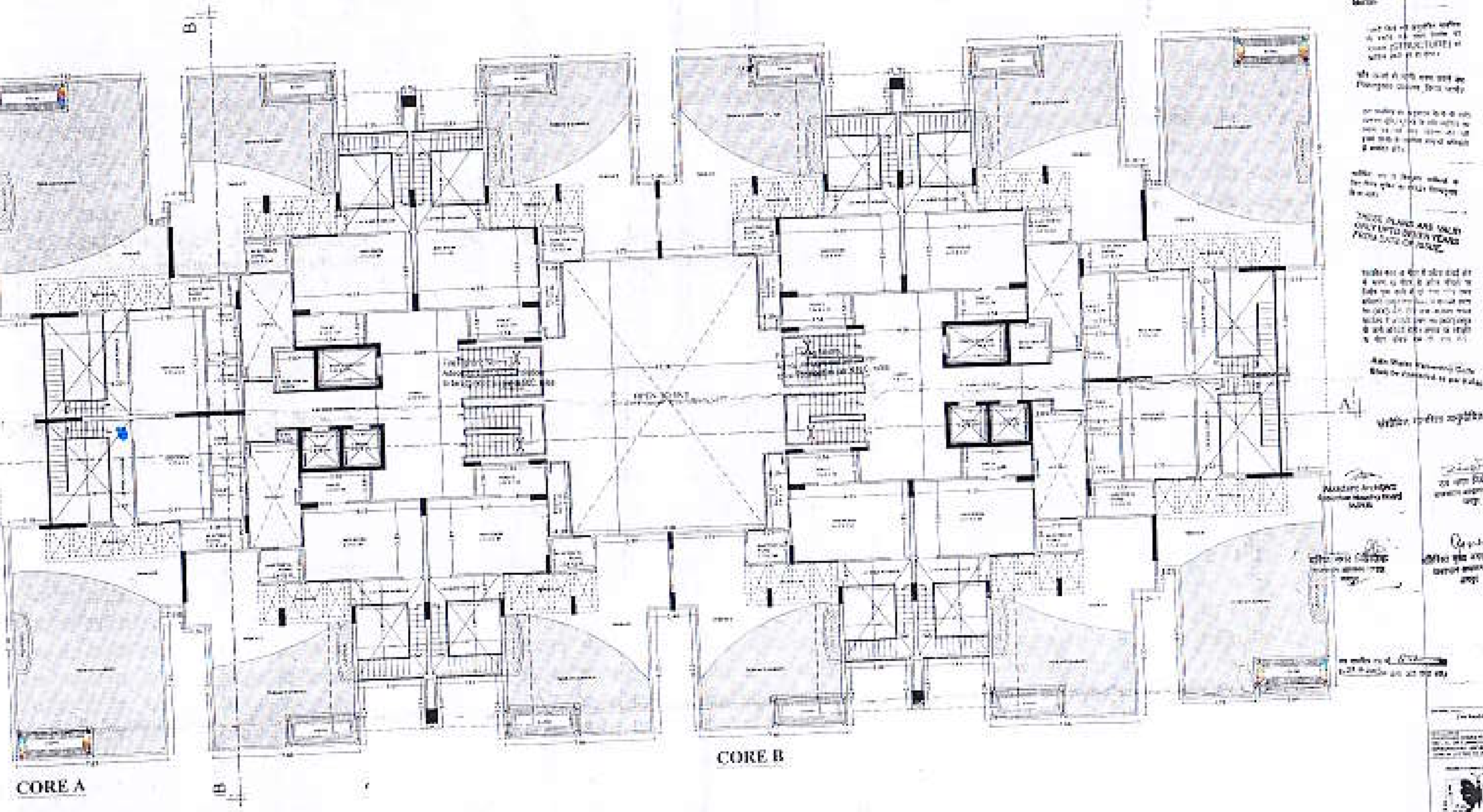
CORE A
CORE B
THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE
ideas

# कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक: 22-11-2013

क्रमांकः–अति. मु.न.नि. / रा.आ.म. / जयपुर / 2013–14 / 832

विपुल प्रिमाईसेज प्रा0 लि0, जयपुर
श्री मनीष चौधरी
मार्फट एलमेन्टस माल, डी.सी.एम. मार्केट,
अजमेर रोड़, जयपुर।

विषय :– व्यावसायिक भुखण्ड "अ" वी.टी.रोड़, शिप्रा पथ कॉर्नर, मानसरोवर, जयपुर के मानचित्र अनुमोदन स्वीकृत करने बाबत्।

महोदय,

1. राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प. 7(79) न.वि.वि. / 3 / 2013 दिनांक 04.10.2013 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 संशोधन के तहत जारी की गई है।
2. उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम–2010 की धारा 14.10 के अनुसार 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है। उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।

12. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होगें।

13. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

14. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।

15. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगा। साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्प्ले नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावे।

16. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/ 18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशें के अनुसार स्ट्रक्चर सुरक्षा व भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

संलग्न :– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 02 मानचित्र)

भवदीय

22/XI

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपी:–

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त को भेजकर लेख है कि आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प. 7(79) न.वि.वि./3/2013 दिनांक 04.10.2013 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु आपके द्वारा इस भवन के निर्माण के समय नियमित रूप से निरिक्षण कर रिपोर्ट आयुक्त महोदय के समक्ष प्रेषित की जाये। आदेश की प्रति संलग्न हैं।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–षष्ठम् , राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

DA